आज का विचार

मनमर्जी से चलाये जाने वाले संस्थान यदि सरकारी नियंत्रण व नियम कायदों की के अनुरूप संचालित होने लगे तो कानून का डर व प्रभाव भी नजर आने लगता है।

(शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)

दैनिक लोकजीवन

कोचिंग सेंटर नियंत्रण बिल ...

प्रदेश में कोचिंग सेन्टरों की बढ़ती संख्या/इन पर नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधान नहीं होने से इन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था और न ही इनके संचालन के लिए नियम कायदे बनाये जा सकते थे। प्रदेश में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था कि जिसके तहत सेंटर खोलने और संचालन के लिए सरकारी स्तर पर ऐसी कोई संस्था हो जिसके तहत इनका पंजीयन व संचालन हो सके। निसंदेह स्कूल कॉलेजों के मुकाबले कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या अधिक है और जहां कहीं कोचिंग सेंटर खोलना मानो व्यवसाय का रूप ले चुका है और प्रतियोगी परिक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक छात्रों पर बढ़ता दबाव व अभिभावकों की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण आये दिन बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृति ने प्रदेश ही नहीं देश तक को चिंतित कर दिया। लोकसभा में भी बढ़ती आत्महत्या की प्रवृति पर चिंता व्यक्त की गई। इसमें संदेह नहीं कि प्रदेश का कोटा शहर कोचिंग सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है यहां से मेडिकल व इंजीनियरिंग में बड़ी संख्या में सफलता पाने वालों की लम्बी सूची है लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण पहलु यह भी है कि छात्रों की आत्महत्या के सबसे अधिक मामले भी यहीं हुए है। आत्महत्या के कारणों में फीस के अलावा अच्छे नम्बर लाने का दबाव तथा अभिभावकों की आशा से जुड़े विषय मुख्य है जबकि अपेक्षा के बोझ के चलते बच्चे आत्महत्या का रास्ता चुन लेते है कि संभवतः वे आशा के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने की स्थिति में नहीं है।

प्रदेश की भजन लाल सरकार ने शिक्षा के इस क्षेत्र को कायदों में बांधने की नियत से सकारात्मक प्रयास करते हुए विधान सभा में बिल पास किया है। कोचिंगों पर अंकुश और छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए प्रवर समिति प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक-2025 पारित कर दिया गया। विधेयक के अनुसार 100 या अधिक छात्रों की संख्या वाले संस्थान ही कोचिंग सेंअर की श्रेणी में आयेंगे। 16 साल की उम्र या 10वीं से पहले भी कोचिंग लिए पात्र हो सकेंगे। विधेयक में समाहित नियमों को तोड़ने पर लगाई जाने वाली जुर्माना राशि कम कर सेंटरों को राहत दी गई है। उल्लंघन पर पहली बार जुर्माना 2 लाख से घटा कर 50 हजार दूसरी बार में 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी है। इसके बाद नियम तोड़ा तो रजस्ट्रेशन रद्द कर उसका संचालन बंद करने का प्रावधान है। कोचिंगों पर मॉनिटरिंग व नियम फोटो कराने को राज्य स्तरीय कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा। जिसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी। वहीं जिला स्तर पर छात्रों की समस्या निवारण को चौबीस घंटे संचालित होने वाले कॉल सेंटर बनेंगे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समितियां बनेगी। इसे प्राधिकरण के समरूप शक्तियां होगी। समिति 3 साल को रजिस्ट्रेशन और फिर इसका रिव्यू भी करेगी। कोचिंगों का निरीक्षण भी करेगी। कोचिंग में सरकारी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक काम नहीं कर सकेंगे। स्कूल के वक्त कोचिंग की कक्षा नहीं ली जा सकेगी। आवश्यकता इस बात की है कि कोचिंग सेंटर स्थापना से ही नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था की जाय ताकि सुरक्षा व संरक्षण के समुचित प्रबंध हो सके।

कड़वी घूंट -सूरज

दागी शिक्षकों का रिश्ता ...

जहां कहीं भी निष्पक्ष भर्ती होगी वहां किसी प्रकार के सवाल नहीं उठाये जाते है परन्तु जिन भर्तियों में घोटाला हुआ हो वहां जितना ही कुरेदोगे उतनी ही धांधली सामने आएगी। ठीक वैसे ही जैसे एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरों को भी शामिल कर लिया जाता है ताकि घोटाले के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाये। जो बोलने की कोशिश करें उसकी भी पूर्ति हो जाय तो उसका भी मुंह बंद हो जाता है यानी घोटाला जहां होता है वहां एक नहीं कई जिम्मेदार होते है। जिनका मुंह बंद कर दिया होता है।

विपरित इसके भ्रष्टाचार को हर मर्ज की दवा मानने वाले लोग ही भर्तियों में नौकरी देने के नाम पर मनमानी रकम वसूल लेते है फिर ऐसे अवसर पर लोग जेक और चेक अर्थात नकदी के साथ-साथ राजनीतिक रिश्तों को भी भुनाते है हो सकता है राजनीतिक रिश्ते की वजह से रिश्वत से कम रकम देने पर भी काम चल गया हो। यह रिश्ता किसी भी दल से जुड़ा हो सकता है।

हां पं. बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में दागी उम्मीदवारों पर सियायत गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी 1804 दागी उम्मीदवारों की सूची में सबसे ज्यादा नाम सत्तारूढ टीएमसी नेताओं के करीबियों के है। इनमें 1300 सीधे टीएमसी से जुड़े परिवारों के लोग है। विपक्षी भाजपा ने सबसे ज्यादा विरोध किया लेकिन सूची में चौकाने वाली बात यह है कि सूची में भाजपा नेताओं के परिजनों के नाम भी शामिल है और अब यह आप जानो कि घोटाला करने वालों को अपने किए पर पर्दा डालने के लिए विपक्षियों को भी खुश रखना पड़ता है ताकि नैतिक रूप से वे भी मुखर नहीं हो सके।

प्रदेश में भारी बारिश के बाद अलर्ट मोड पर सरकार सीएम ने सभी मंत्रियों-विधायकों को फील्ड में भेजा

लोकजीवन न्यूज नेटवर्क, जयपुर

राजस्थान में इस बार मॉनसून की बारिश बहुत ज्यादा हुई है। अब तक सामान्य से 62 प्रतिशत ज्यादा बारिश हो चुकी है और बारिश का दौर लगातार जारी है। आज शुक्रवार 5 सितंबर को भी प्रदेश के 25 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार रात को ही अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटने से शहर में बा? जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जनजीवन प्रभावित होने पर विपक्ष ने सरकार पर तत्काल राहत नहीं देने का आरोप लगाते हुए सदन में मुद्दा उठाया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाढ़ ने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लें और रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजें। प्रभारी मंत्रियों को भी क्षेत्र में दौरा करने के निर्देश दिए हैं।

तीन दिन फील्ड में रहेंगे विधायक और मंत्री

इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस दरमियान शु वार 5 सितंबर से लेकर रविवार 7 सितंबर तक विधानसभा में अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि अवकाश के दिनों में तीन दिन तक सभी प्रभारी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्र का दौरा करें। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशीलता और तत्परता के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के समाधान के लिए राज्य सरकार दीर्घकालिक योजना बनाकर काम करेगी ताकि स्थायी समाधान मिल सके। प्रभावी सचिवों को भी दो दिन तक क्षेत्र का दौरा कर आमजन की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।

विधानसभा में विधायकों से मिले सीएम

सीएम शर्मा ने प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति पर विधानसभा में विधायकों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 जून से 1 सितम्बर तक औसत बारिश से 62 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई है। ऐसे में सभी विधायक अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जाएं तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर राहत-बचाव कार्यों को और अधिक गति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तात्कालिक राहत के साथ-साथ बारिश और बाढ़ से प्रतिवर्ष होने वाली समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार दीर्घकालिक योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की परेशानियों को प्रभावी रूप से दूर कर रही है।

अधिकारियों से नियमित फीडबैक लेने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री और सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में अधिकारियों और प्रशासन से नियमित रूप से फीडबैक लें। जिला कलेक्टर और उच्च अधिकारियों के साथ नियमित बैठक करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विधायकों को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों का मनोबल बढ़ाने, निचले इलाकों से लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, भोजन पैकेट, पीने का पानी, दवाइयों और कपड़ों के वितरण की सतत निगरानी के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करवाएं। साथ ही कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन पर नजर रखें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्वयंसेवकों की पर्याप्त तैनाती भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बामनियाँ में वीर तेजाजी महाराज का मेला सम्पन्न

भीलवाड़ा। जिले के बामनियाँ में तेजाजी महाराज का चार दिवसीय मेला सम्पन्न हुआ। मेला 1 से 4 सितंबर तक आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न कार्यक्रम हुए जिसमें 1 सितम्बर को भजन संध्या रखी गई 2 सितम्बर को दिन में तेजाजी महाराज की बन्दोरी व रात्रि विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं काव्य पाठ किया गया। 3 सितम्बर को भगवान नगर भ्रमन पर पधारे।जलझूलनी एकादशी पर विशाल शोभा यात्रा डी जे से निकाली गई। 3 से 5 सितम्बर तक तेजाजी महाराज का मारवाड़ी खेल चलेगा। नेहरू युवा मंडल का और ग्राम पंचायत बामनिया का विशेष सहयोग रहा । लोगों ने जमकर मेले से खरीदारी की।मेले में डोलर चकरी मनिहारी की दुकानें चाट पकौड़ी जलेबी और विभिन्न प्रकार की दुकानों का लोगों ने आनंद लिया। कार्यक्रमों का संचालन कवि मुकेश चेचाणी ने किया।

नारायण सागर बांध का जल स्तर पहुंचा 10 फीट

बिजयनगर। ब्यावर मार्ग पर प्रदेश के सबसे बड़े बांध नारायण सागर में पानी की लगातार आवक से भराव क्षमता 16 फीट के मुकाबले करीब दस फीट तक पहुंचने व लगातार पानी की आवक होने से क्षेत्र के किसानों में खुशहाली का माहौल बन गया है। बाधं में खारी नदी से पानी की आवक जारी है नदी पर छह इंच की चादर चल रही है। ब्यावर जिले के जालियां द्वितीय के निकट प्रदेश के सबसे बड़े बांधों की सूची में शामिल हैं। भराव व फैलाव क्षमता अत्यधिक होने से भारी मात्रा में पानी संरक्षण किया जाता है। इस बांध से क्षेत्र के किसान कृषि हेतु पानी सिंचाई के रुप में उपयोग में लाते हैं।

लीला राठी जिलाध्यक्ष और सुमन अग्रवाल महामंत्री नियुक्त

भीलवाड़ा। वैश्य फेडरेशन महिला संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, संगठन ने सर्वसम्मति से लीला राठी को जिलाध्यक्ष और सुमन अग्रवाल को जिला महामंत्री के पद पर पुनः नियुक्त किया है। यह फैसला उनके उत्कृष्ट कार्य और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए लिया गया है। यह नियुक्ति सांसद दामोदर अग्रवाल की अनुशंसा और वैश्य फेडरेशन महिला संगठन की संभागीय अध्यक्ष व पूर्व सभापति मधु जाजू की सहमति से हुई । वैश्य फेडरेशन की प्रदेश महिला अध्यक्ष चारू गुप्ता ने बताया कि लीला राठी और सुमन अग्रवाल ने संगठन के लिए सराहनीय कार्य किया है। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

कार्यालय नगर निगम भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : न.नि.भी./भैलवा/2025-26/8805-07 दिनांक :- 01/09/2025

निविदा सूचना

नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा निम्नांकित कार्य के लिए निविदाए आमंत्रित की जाती है। जो कार्य के सम्मुख अंकित दिनांक को दोपहर 1.00 बजे तक विक्रय की जाकर उसी दिनांक 3.30 बजे प्राप्त की जाकर 4.00 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा सम्बधि जानकारी वेबसाईट www.sppp.raj.gov.in पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	ऑनलाईन निविदा विक्रय / डाउनलोड / प्राप्ति तिथि	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि
1	दिनांक 02 / 09 / 2025 प्रातः 9.30 से दिनाक 15 / 09 / 2025 सांय 3.00 बजे तक	दिनाक 16 / 09 / 2025 को 11.00 बजे से

निविदा का विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	धरोहर राशि
01	नगर निगम के विभिन्न कार्य हेतु बेकहो लोडर, पोकलेन मशीन, डम्पर एवं ट्रेक्टर ट्रोली किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य	रू 23,80,000 / —	रू. 1000 / —	रू 47,600 / —

निविदा से संबंधित समस्त विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं। संवेदक द्वारा निगम कार्यालय में निविदा विक्रय तिथि में किसी भी कार्य दिवस में 11.00 से 02.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता हैं।

प्रोसेसिंग शुल्क 50.00 लाख तक की प्रत्येक निविदा पर रूपये 500 / — एवं रूपये 50.00 लाख से 01 करोड़ तक की प्रत्येक निविदा पर रूपये 1500 / — एवं 01 करोड़ से 05 करोड़ तक की प्रत्येक निविदा पर रूपये 2000 / — तथा 05 करोड़ से अधिक की प्रत्येक निविदा पर रूपये 2500 / — देय होगा। UBN No.: DLB2526SLOB16412

राज.संवाद/सी/25/9289

आयुक्त,
नगर निगम भीलवाड़ा

रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर (सीआईएन): L24302RJ1990PLC005560
पंजीकृत कार्यालयः 11-12TH, की. मी. स्टोन, चित्तौड़गढ़ रोड, गुवारड़ी, भीलवाड़ा - 311025(राजस्थान), इंडिया, वेबसाइटः-www.ranjanpolysters.com फोनः 01482-297133, ई-मेलः ranjanpoly@gmail.com

35वीं वार्षिक साधारण सभा रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 35वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 04:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 11-12TH, की. मी. स्टोन, चित्तौड़गड़ रोड, गुवारड़ी, भीलवाड़ा -311001(राजस्थान) में आयोजित होना निश्चित की गयी है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19.09.2024 एवं सेबी द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03.10.2024 जिसकी अनुपालना में 35वीं वार्षिक साधारण का एजीएम नोटिस एवं ई-वोटिंग से सम्बंधित विस्तृत निर्देश व जानकारी के साथ ही वितीय वर्ष 2024-2025 हेतु वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी/आरटीऐ/डेपोजिटरी के पास पंजीकृत है, ई-मेल द्वारा भेजी गयी है । वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम का नोटिस ई-मेल 04 सितंबर, 2025 तक प्रेषित कर चुके है। एजीएम की सार्वजनिक सूचना एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025 कंपनी की वेबसाइट www.ranjanpolysters.com और एमसइआई लिमिटेड की वेबसाइट www.msei.in पर उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएँ) नियमावली, 2015 की नियमावली 44 के अनुपालन में, सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के मंच के द्वारा कंपनी की 35वीं वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित सभी व्यापारिक लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान की गयी है । सदस्य, आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह (रिमोट ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का उपयोग करके वोट दे सकते है । रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शनिवार, 27 सितम्बर, 2025 प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी तथा सोमवार, 29 सितम्बर, 2025 सायः 5.00 बजे समाप्त होगी। इस समय और दिनांक के अलावा कोई ई-वोटिंग स्वीकार नही की जाएगी। जिन व्यक्ति यों का नाम अंतिम तारीख 23 सितंबर, 2025 को सदस्यो अथवा लाभकारी मालिको के रजिस्टर में है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ वोटिंग सुविधा को अधिकृत कर सकते है । सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट दिया है वे भी सभा में सम्मिलित हो सकते है लेकिन वापस सभा में वोट देने का अधिकार नहीं है सूचना के प्रेषण के बाद वे व्यक्ति जिनके पास कंपनी के शेयर एवं सदस्य है उन्हें रिमोट ई-वोटिंग के लिए । यूजर आई. डी. तथा पासवर्ड कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांन्सफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाइनेंसियल और कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 'बीटल हाउस' तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, बी एच - लोकल शॉपिंग काम्प्लेक्स, दादा हरसुखदास मंदिर के समीप, न्यू दिल्ली - 110062 द्वारा प्राप्त होंग। यूजर आई.डी.और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है । वार्षिक साधारण सभा में मतपत्र द्वारा मतदान उन सदस्यों को उपलब्ध है जो इस सभा में सम्मिलित है तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं दिया है । ई- वोटिंग के परिणाम कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में अथवा बाद में घोषित किया जायेगा । सदस्यो की सूचना के लिए संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट को सूचित किया जायेगा । ई-वोटिंग से सम्बंधित कोई प्रश्न अथवा मामलों को www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग के 'पूछे जाने वाले प्रश्न' (FAQ) तथा ई-वोटिंग मार्गदर्शक अथवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख कर भेज सकते है । हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 18002109911 द्वारा भी संपर्क किया जा सकता है । कृपया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा मतदान की सुविधा से जुडी किसी भी शिकायत के मामले में श्रीमान राकेश दलवी, मैनेजर सीडीएसएल, ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मील कंपाउंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर पारेल (ईस्ट), मुम्बई–400013, ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com , हेल्प डेस्क नंबर 022-23058542/43 पर संपर्क करे। आगे की सूचना एतदद्वारा दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएँ) नियमावली, 2015 की नियमावली 42 के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स बुधवार 24, सितंबर, 2025 से मंगलवार 30, सितंबर 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

बोर्ड की आज्ञानुसार
रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड के द्वारा
Sd/-
(महेश कुमार भीमसरिया)
प्रबंध संचालक
DIN-00131930

दिनांकः 5 सितंबर, 2025
स्थानःभीलवाड़ा